निर्मलजीत कौर से पहले, जे. शाम लाल,-याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. No.12563-2011

1 अगस्त, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 311 (2)-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धारा 7,13 (1) (डी), 13 (2)-याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1988 की धारा 7,13 (1) (डी), 13 (2) के तहत दोषी ठहराया गया-सेवा से बर्खास्त किया गया-बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी गई-क्या संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में संरक्षण नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उपलब्ध होगा-यह माना गया कि ऐसे मामले में कारणदर्शक नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है-याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार, मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले कोई कारणदर्शक नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा स्वयं वाशाम्पाइन (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 8 में भी कहा गया है, जो निम्नानुसार हैः- "[8].यह बिना कहे चला जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत 'बर्खास्तगी', 'हटाने' या 'रैंक में कमी' के खिलाफ संरक्षण, जब तक कि सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक उपलब्ध नहीं होगा यदि ऐसी दंडात्मक कार्रवाई आचरण के आधार पर की जाती है जिसके कारण आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि हुई है।दूसरे शब्दों में, यदि बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का आदेश कदाचार पर आधारित है जिसके कारण सिविल सेवक को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया जाता है, तो मामले में कार्रवाई करने से पहले आगे किसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।(पैरा 8) ने आगे कहा कि उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बर्खास्तगी का आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप और 897 में आपराधिक न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि के आधार पर पारित किया गया है।

नैतिक अधमता से संबंधित अपराध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का संरक्षण उसके लिए उपलब्ध नहीं है।

(पैरा 9)

आर. के. हांडा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

निर्मलजीत कौर, जे।

(1) अंबाला में प्रतिवादी निगम में फील्ड अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए याचिकाकर्ता को कथित रूप से राज्य सतर्कता ब्यूरो ने श्रीमती से 1,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अंबाला शहर के नया गाँव के पास कृष्णा कॉलोनी निवासी श्री ओम प्रकाश की पत्नी शकुंतला को भैंसों की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए।आरोप को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को डब्ल्यू. ई. एफ. 31.10.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया गया था।अंत में, उन्हें 23.01.2006 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से आरोप पत्र दायर किया गया और 21.03.2006 दिनांकित आदेश के माध्यम से अभियोजन की मंजूरी भी दी गई।इसके बाद याचिकाकर्ता को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया।हालाँकि, उन्हें जाँच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.02.2009 के माध्यम से आरोपों से बरी कर दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में, विशेष न्यायाधीश, अंबाला ने याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 7 के तहत एक वर्ष के लिए आर. आई. से गुजरने और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर एक महीने की अवधि के लिए आर. आई. और दो साल के लिए आर. आई. और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (I) (डी) के साथ पठित खंड 13 (I) (डी) के तहत Rs.2000 का जुर्माना देने और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, दो महीने की अवधि के लिए आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई।उक्त फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।इस बीच, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.2011 के आदेश के माध्यम से सेवा से बर्खास्त कर दिया।

(2) दिनांकित 01.06.2011 आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को बिना कोई

कारण बताए नोटिस जारी किए या उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

(3) इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा रखा गया है हरि राम बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक अन्य (1), वशंपिने उपनाम कुन्नी बनाम हरियाणा राज्य के मामले।

(1) 2006 (2) एससीटी 112

और अन्य (2007 का एल. पी. ए. सं. 204,04.10.2008 पर निर्णय लिया गया) के साथ-साथ भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी।

बनाम तुलसी राम पटेल (2)।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने से पहले, उसके आचरण पर विचार किया जाना चाहिए था।

(5) सुना है।

(6) वाशाम्पाइन के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रखे गए कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय,

जिसमें कहा गया है कि "किसी आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि के लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी स्वचालित रूप से आवश्यक नहीं है और इसलिए, इनमें से किसी भी बड़े दंड को लागू करना अनिवार्य नहीं है।"हालाँकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 (2) के साथ पठित खंड 13 (I) (D) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और दंड प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के आचरण पर विधिवत विचार किया कि उसका काम संपर्क बनाए रखना और बैंकों के साथ संबंध बनाना था, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।अपने उक्त कर्तव्यों को आदेश के बजाय, वह गरीब लाभार्थियों से उनके पक्ष में ऋण स्वीकृत/वितरित आदेश के लिए रिश्वत लेने में लिप्त हो गया।

(7) इसलिए, वाशाम्पाइन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिया गया निर्णय वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है क्योंकि उस मामले में याचिकाकर्ता को भा.दं.सं. सी. की खंड 326 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उस मामले के तथ्यों में, माननीय खण्ड पीठ निम्नानुसार निर्णय दियाः-

“हम यह समझने में विफल हैं कि कैसे एक गैर-पारंपरिक हथियार से किए गए एक प्रहार के साथ किए गए अपराध को "दुराचार का सबसे गंभीर कार्य" कहा जा सकता

है।यह एक निजी विवाद था जिसके कारण अपीलकर्ता को एक पल के अंतराल में चोट लगनी पड़ी।अपराध उस समय किया गया था जब अपीलकर्ता ड्यूटी से बाहर था। इसके अलावा, यह अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दर्ज किया गया एकमात्र दुस्साहसिक कार्य है।हम नहीं कर सकते।

(2) ए. आई. आर 1985 एस. सी. 1416 899

इस बात की सराहना करें कि कैसे इस तरह का अलग-थलग कदाचार अपीलकर्ता को "अपरिवर्तनीय" कर्मचारी ठहराने के लिए पर्याप्त था।"अपरिवर्तनीय" अभिव्यक्ति एक निश्चित अर्थ को दर्शाती है जैसे कि कोई व्यक्ति अपने दुराचारों में अभ्यस्त या दोहराता है।”

(8) जबकि, दिनांकित 01.06.2011 बर्खास्तगी आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी ने आपराधिक न्यायालय के फैसले और उसमें निहित आरोपों की विधिवत जांच की।इसमें कार्रवाई उस आचरण पर आधारित है जिसके कारण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था।इस प्रकार, मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले किसी भी कारणदर्शक नोटिस को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा स्वयं वाशाम्पाइन (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 8 में भी कहा गया है, जो निम्नानुसार हैः-

“[8].यह बिना कहे चला जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत 'बर्खास्तगी', 'हटाने' या 'रैंक में कमी' के खिलाफ संरक्षण, जब तक कि सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक उपलब्ध नहीं होगा यदि ऐसी दंडात्मक कार्रवाई आचरण के आधार पर की जाती है जिसके कारण आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि हुई है।दूसरे शब्दों में, यदि बर्खास्तगी या सेवा से हटाने का आदेश कदाचार पर आधारित है जिसके कारण सिविल सेवक को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया जाता है, तो मामले में कार्रवाई करने से पहले आगे किसी सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।” (9) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप और आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में उसकी दोषसिद्धि के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का संरक्षण उसके लिए उपलब्ध नहीं है।

बर्खास्त कर दिया।

(10) हालाँकि, याचिकाकर्ता हमेशा 01.06.2011 दिनांकित बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है, यदि उसकी अपील की अनुमति है।यदि अपील की अनुमति दी जाती है तो इसमें किया गया अवलोकन मार्ग में बाधा नहीं बनेगा।

जे. एस. मेहंदीरथा

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur